




झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9422440

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-06	
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	4	पृष्ठ संख्या वर्तमान	56	थाना न.	126	
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/राजस्व थाना न	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगान
22440	7932 /R27 2020 - 2021	साबलपुर/ 126	गोविन्दपुर	12/03/2021	By Sale Registration Deed 92 Dated 11/01/2021	91 2 89	91 621 4.75 डिसमील	5
क्रेता का नाम : (ASHISH RANJAN पिता-DHIRENDRA KUMAR, जाति-भुमीहार, पता-C M P F CO-OPERATIVE COLONY, PS SARAIHELIA DIST - DHANBAD)				जमाबंदी रैयत का नाम : श्री ललन कुमार मिश्रा -पिता-श्री परमेश्वर मिश्रा		दिक्रेता का नाम : LALAN KUMAR MISHRA, LALAN KUM MISHRA, पिता-PARMESHWAR MISHRA, पता-QTR NO 11/58 NEAR SHIV MANDII COLONY JAGJIVAN NAGAR PS SARAIID - DHANBAD		
राजस्व कर्मचारी हलका-06 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।						Signature valid  Digitally signed by BANDANA BHARTI अंचलाधिकारी गोविन्दपुर		

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

Ashish Ranjan

Duplicate Copy
16-Mar-2021

आदेश

तिथि
Mar 12
2021

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा साबलपुर थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
91	621	0 एकड़, 4.75 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
LALAN KUMAR MISHRA	पिता	PARMESHWAR MISHRA
LALAN KUMAR MISHRA	पिता	PARMESHWAR MISHRA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 92 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री ललन कुमार मिश्रा	पिता	श्री परमेश्वर मिश्रा

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनंशुसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 5 रूपये
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
BANDANA BHARTI
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Ashish Rautan